

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Kabirdham

No: 1547

Date: 03.12.2019

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that **13.029 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G.** (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in **Kawardha Forest Division** falls within jurisdiction of **Kabirdham District i.e Bodla and Pandariya Block.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **13.029 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (**Not Applicable**)
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; (**Not Applicable**)
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).



Collector
District-Kabirdham
(Chhattisgarh)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला कबीरधाम छ0ग0

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

क्रमांक/ ¹⁵⁴⁶ /अ.भू.अ./ रा.नि./ 2019

कबीरधाम, दिनांक 03/12/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट" (A Part of Digital India) हेतु कवर्धा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बोड़ला एवं पंडरिया अनुभाग में शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 13.029 हे. वनभूमि में **0.287 हे. राजस्व वनभूमि** का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर " के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध।

संदर्भ :- प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़) का पत्र क्रमांक/ भानेप्रो-II/ वनभूमि/ एफआरए-अनापत्ति/2019-20/27 एवं 28 रायपुर दिनांक 13.11.2019

—00—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। विषयांतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारतनेट प्रोजेक्ट" के तहत कबीरधाम जिला क्षेत्र के कवर्धा वनमंडल क्षेत्रान्तर्गत बोड़ला एवं पंडरिया ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है :-

राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

क्र.	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा हे. में	मद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	बोड़ला	नेवराटोला	101	0.008	बड़े झाड़ के जंगल	
2.	बोड़ला	नेवराटोला	74	0.005	बड़े झाड़ के जंगल	
3.	बोड़ला	बोल्दाकला	36	0.019	बड़े झाड़ के जंगल	
4.	बोड़ला	बोल्दाकला	29	0.021	बड़े झाड़ के जंगल	
5.	बोड़ला	बोल्दाकला	1/1	0.003	बड़े झाड़ के जंगल	
6.	बोड़ला	केसमर्दा	203	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
7.	बोड़ला	कांपा	3/1	0.022	बड़े झाड़ के जंगल	
8.	बोड़ला	खैरबनाकला	17/1	0.009	बड़े झाड़ के जंगल	
9.	बोड़ला	खैरबनाकला	28	0.015	बड़े झाड़ के जंगल	

क्र.	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा हे. में	मद	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7
10	पंडरिया	बकेला	87	0.002	बड़े झाड़ के जंगल	
11	पंडरिया	माहीडबरा	158/1	0.016	बड़े झाड़ के जंगल	
12	पंडरिया	माहीडबरा	158/1	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
13	पंडरिया	माहीडबरा	70	0.005	बड़े झाड़ के जंगल	
14	पंडरिया	माहीडबरा	79/1	0.009	बड़े झाड़ के जंगल	
15	पंडरिया	अमेरा	1	0.061	बड़े झाड़ के जंगल	
16	पंडरिया	अमेरा	179/1	0.012	बड़े झाड़ के जंगल	
17	पंडरिया	पुटपुटा	232	0.012	बड़े झाड़ के जंगल	
18	पंडरिया	मंझौली रवन	14	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
19	पंडरिया	गुढ़ा	23/1	0.005	बड़े झाड़ के जंगल	
20	पंडरिया	सगौना	254	0.033	बड़े झाड़ के जंगल	
21	पंडरिया	सगौना	228	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
कुल योग				0.287		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में हैं जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जानें के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। अगर वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तो संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन हेतु ग्रामों में स्थित किसी भी धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाएगी। अतः इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


 कलेक्टर
 जिला-कबीरधाम